E-mail
Fax

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:–ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांकः ई2–2–18/2014 - 83 पटना, दिनांक 02 अप्रैल, 2019 ई0।

आदेश

विषय– निर्वाचन कर्त्तव्य पर तैनात कर्मियों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान के संबंध में।

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक सहमति प्राप्त है।

लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 एवं विधान सभा उप निर्वाचन, 2019 हेतु भारत निर्वाचन आयोग से चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता सम्यक विचारोपरान्त एवं वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् निम्नरूपेन निर्धारित किया जाता है–

क्रं0 सं0	कर्मियों का पदनाम	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के लिए प्रशिक्षण आदि के दिनों की सं0	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के लिए भुगतान की दर	मतदान/मतगणना दिनों की संख्या	लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के लिए भुगतान की दर
1	पीठासीन पदाधिकारी	3 दिन	500 रूपये प्रतिदिन	3 दिन	500 रूपये प्रतिदिन
2	मतदान पदाधिकारी 1 एवं 2	3 दिन	375 रूपये प्रतिदिन	3 दिन	375 रूपये प्रतिदिन
3	चतुर्थवर्गीय कर्मी	3 दिन	250 रूपये प्रतिदिन	3 दिन	250 रूपये प्रतिदिन
4	सेक्टर पदाधिकारी/जोनल दंडाधिकारी	1 दिन	500 रूपये प्रतिदिन	एक मुश्त	2000 रूपये एकमुश्त
5	गस्ती दल दंडाधिकारी	1 दिन	500 रूपये	एक मुश्त	2000 रूपये एकमुश्त
6	सरकारी चालक	–	–	3 दिन	375 रूपये प्रतिदिन
7	मतगणना पर्यवेक्षक	1 दिन	500 रूपये प्रतिदिन	1 दिन	500 रूपये प्रतिदिन
8	मतगणना सहायक	1 दिन	375 रूपये प्रतिदिन	1 दिन	375 रूपये प्रतिदिन
9	माइक्रों प्रेक्षक (मतदान हेतु)	1 दिन	500 रूपये प्रतिदिन	एकमुश्त	2000 रूपये एकमुश्त
10	माइक्रों प्रेक्षक (मतगणना हेतु)	1 दिन	500 रूपये प्रतिदिन	एकमुश्त	500 रूपये एकमुश्त
11	इन्कम टैक्स इन्सपेक्टर	–	1600 रूपये एक मुश्त	एक मुश्त	1600 रूपये एक मुश्त
12	विडियों सरविलेंस टीम, विडियों भ्यूविंग टीम, एकाउंटिंग टीम, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कंट्रोल, रूम एंड कॉल सेन्टर स्टाफ, मिडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमिटि, स्टैटिक सरविलेंस टीम, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल	–	–	–	भुगतान दर वर्ग– I/II 1600 रूपये एकमुश्त III 1200 रूपये एक मुश्त IV 250 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन (अधिकतम एक हजार दो सौ रूपये)

Ranjan

Scanned by CamScanner

13	फ्लाईंग स्कवायड				2,500 रूपये एकमुश्त
14	पुलिस निरीक्षक / पुलिस अवर निरीक्षक	1 दिन	500 रूपये प्रतिदिन	3 दिन	500 रूपये प्रतिदिन
15	सहायक निरीक्षक / हवलदार / सिपाही	1 दिन	375 रूपये प्रतिदिन	3 दिन	375 रूपये प्रतिदिन
16	चौकीदार / दफादार / एन० सी०सी० कैडेट / स्कॉट गाईडस	1 दिन	250 रूपये प्रतिदिन	3 दिन	250 रूपये प्रतिदिन
17	गृह रक्षक	–	निर्धारित दर से दैनिक भत्ता	–	निर्धारित दर से दैनिक भत्ता
18	भोजन / नास्ता	–	अधिकतम 250 रूपये प्रतिदिन	–	अधिकतम 250 रूपये प्रतिदिन
19	राज्य स्तरीय / प्रमंडल स्तरीय / जिला / अनुमंडल स्तर के मास्टर प्रशिक्षक			एकमुश्त	दो हजार रूपये एकमुश्त
20	पर्दानशी महिलाओं के पहचान हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी			1 दिन	250 रूपये प्रतिदिन

2. सुरक्षित रखे गये कर्मियों को, जो निर्वाचन कर्त्तव्य पर आवश्यकता होने पर लगाये जाने के लिए निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहें, उन्हें भी संबंधित कोटि के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

3. मतदान / मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों / सुरक्षा कर्मियों को भोजन / नास्ता पर अधिकतम 250 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जा सकेगा। जहाँ ऐसा करना संभव न हो वहाँ 250 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से नकद भुगतान किया जा सकेगा।

4. बिहार यात्रा भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम–140 (क) के अनुसार निर्वाचन कार्य संपन्न करने के लिए की गई यात्रा के निमित निर्वाचन कार्य करने का प्रमाण–पत्र पर्याप्त होगा एवं इसके लिए संबंधित कर्मी द्वारा यात्रा विपत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेखाकरण के प्रयोजनार्थ संबंधित प्राप्ति पंजी को अभिश्रव समझा जायेगा एवं तद्नुसार उसका आकस्मिक विपत्र समर्पित किया जा सकेगा।

5. यह राशि मुख्यशीर्ष "2015–निर्वाचन के संबंधित लघु / उपशीर्ष के विषय शीर्ष कार्यालय व्यय ईकाई" तथा "2055–पुलिस के अन्तर्गत विषय शीर्ष यात्रा व्यय ईकाई" में किये गये बजट उपबंध से विकलनीय होगा।

ह0/– 2/4
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सचिव,
निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 2548
पटना, दिनांक 02 अप्रैल, 2019 ई0।

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले० एवं हक), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 2/4
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सचिव,
निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner

पटना, दिनांक 02 अप्रैल, 2019 ई0।

ज्ञापांकः– 2548

प्रतिलिपिः– श्री सुमित मुखर्जी, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2019/विधान सभा उप निर्वाचन, 2019 में प्रतिनियुक्त कर्मियों हेतु उपर्युक्त निर्धारित दर पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाये।

ह0/- 2/4

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सचिव,
निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2548

पटना, दिनांक 02 अप्रैल, 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव /पुलिस महानिदेशक/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव (वित्त विभाग सहित)/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/उप महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 2/4

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सचिव,
निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2548

पटना, दिनांक 02 अप्रैल, 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सभी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय सहित)/सभी अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 2/4

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सचिव,
निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना।

Ranjan

Scanned by CamScanner